

न्यायालय:- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी जिला-अशोकनगर
(पीठासीन अधिकारी:-जफर इकबाल)

फाइलिंग नंबर 235103003792016

दांडिक प्रकरण क.-395 / 16

संस्थापित दिनांक-03.10.16

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :- आरक्षी केन्द्र पिपरई जिला अशोकनगर।अभियोजन	
विरुद्ध	
01-कल्ला उर्फ खूबसिंह पुत्र मोहन सिंह लोधी उम्र 27 वर्ष, निवासी ग्राम आकेत थाना पिपरई जिला अशोकनगर।आरोपी	
राज्य द्वारा	:- श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ.।
आरोपी द्वारा	:- श्री पठान अधिवक्ता।

—: निर्णय :-

(आज दिनांक 06.07.2017 को घोषित)

01- आरक्षी केन्द्र पिपरई, जिला अशोकनगर द्वारा आरोपी के विरुद्ध यह अभियोग पत्र अंतर्गत भा.द.वि. की धारा 354, 456, 506 के विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।

02- प्रकरण में आरोपी की गिरफ्तारी व पहचान स्वीकृत तथ्य है।

03— प्रकरण में उल्लेखनीय है कि आरोपी का फरियादी से राजीनामा हो गया है जिसके फलस्वरूप आरोपी को भादवि की धारा 506 के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है। यह निर्णय भादवि की धारा 354, 456 के संबंध में पारित किया जा रहा है।

04— अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि मामले की फरियादी कोषाबाई ने दिनांक 01.08.16 को आरक्षी केंद्र पिपरई में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि घटना दिनांक को वह अपने बच्चों के साथ घर पर सो रही थे उसने गेट नहीं लगाए थे। रात करीबन 9 बजे उसके चाचा ससुर का लडका कल्ला उसके घर के अंदर घुस आया और उसके पलंग पर आकर बैठ गया और बुरी नीयत से उसकी छाती दबाने लगा और उसकी साड़ी निकाल दी। जब वह चिल्लाई तो उसने उसका मुंह दबा दिया और कहा कि चिल्ला चौंट की तो जान से खत्म कर दूंगा। इतने में उसका पति आ गया जिसे देखकर आरोपी वहां से भाग गया। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 143/16 के अंतर्गत भादवि की धारा 354, 456, 506 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

05— प्रकरण में आरोपी के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा 456, 354, 506 के अंतर्गत अपराध रचित कर विचारण प्रारंभ किया गया। प्रकरण में आई साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए आरोपी का धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण नहीं किया गया।

06— प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :—

1. क्या आरोपी ने दिनांक 30.07.16 को समय 21.00 बजे फरियादिया का घर आकेत पर सूर्योदय से पहले तथा सूर्यास्त के पश्चात् निवासगृह में प्रवेश कर रात्रि गृहभेदन गृह अतिचार कारित किया ?

2. क्या आरोपी ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर फरियादिया कोषाबाई जो कि एक स्त्री है, उसकी लज्जा भंग करने के आशय से उस पर आपराधिक बल का प्रयोग किया ?

--:: सकारण निष्कर्ष ::--

07— प्रकरण में अभिलेख पर आई हुई साक्ष्य आपस में संशुद्ध एवं अंतर्वलित है। अतः ऐसी स्थिति में साक्ष्य की पुनरावृत्ति के दोषनिवारणार्थ विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 लगायत 2 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है। अभियोजन ने अपने पक्ष के समर्थन में अ.सा. 01 कोसाबाई, अ.सा. 02 पप्पू की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है।

08— अभियोजन साक्षी 01 कोसाबाई ने अपने कथन में बताया है कि वह आरोपी को जानती है। उक्त साक्षी के अनुसार घटना दिनांक को आरोपी ने उसके पति के साथ गाली गलौच की थी और जब उसने गाली देने से मना किया तो आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी। उक्त साक्षी के अनुसार उसने घटना की रिपोर्ट प्रपी 01 लेखबद्ध कराई थी तथा पुलिस ने नक्शामौका प्रपी 02 बनाया था। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि आरोपी रात्रि में उसके घर में छेड़छाड़ करने की नीयत से घुस आया था। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार है कि आरोपी ने छेड़छाड़ करने की नीयत से उसकी छाती दबा दी थी और जान से मारने की धमकी दी थी। उक्त साक्षी ने पुलिस कथन देने से इंकार किया है और साथ ही पुलिस रिपोर्ट प्रपी 01 में छेड़छाड़ वाली बात लिखाने से इंकार किया है। अ.सा. 02 पप्पू ने भी अपने कथन में बताया है कि घटना दिनांक को आरोपी ने उसके साथ गाली गलौच की थी जिसके संबंध में उसकी पत्नी ने रिपोर्ट लेखबद्ध कराई थी। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि आरोपी घटना दिनांक को उसके घर में छेड़छाड़ करने की नीयत से घुसा था। उक्त साक्षी ने पुलिस कथन प्रपी 04 देने से इंकार किया है। अभियोजन द्वारा उपरोक्त साक्षीगण के अतिरिक्त अन्य किसी साक्षी की साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं

की गई है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि एक भी साक्षी ने अपने कथन में यह नहीं बताया है कि घटना दिनांक को आरोपी फरियादी के घर में रात्रि में हुआ था। एक भी साक्षी ने अपने कथन में यह भी नहीं बताया है कि घटना दिनांक को आरोपी द्वारा फरियादिया के साथ लज्जा भंग करने के आशय से उस पर आपराधिक बल का प्रयोग किया गया।

09— उपरोक्त समग्र विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि अभियोजन अपना मामला प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः आरोपी को भादवि की धारा 456, 354 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

10— आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

11— प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं है।

12— आरोपी अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा संबंधी धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(जफर इकबाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(जफर इकबाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)